भारत सरकार /GOVT. OF INDIA

केन्द्रीय जल आयोग /CENTRAL WATER COMMISSION

योजना एवम् अन्वेषण मंडल /Planning and Investigation Division

फ़रीदाबाद/Faridabad

No. 102/06/NIQ/2018-19/ 427-29 दिनांक: **16.02.2019**

कोटेशन आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति के ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार योजना परिमंडल और योजना एवं अन्वेषण मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद के अंतर्गत उपलब्ध सेवा पुस्तिकाओं के पृष्ठों को कलर स्कैन करने के कार्य हेतु कोटेशन आमंत्रित किए जाते है। इच्छुक प्रतिष्ठित फ़र्म संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपनी कोटेशन बंद लिफ़ाफ़े में दिनांक **25**.02.2019 को अपराहन 14:00 बजे तक जमा करा सकते है। कोटेशन उसी दिन अपराहन 14:30 बजे इच्छुक कोटेशनदाताओं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी।

कार्य की सूची एवं विशिष्टियाँ (**Specifications**): संलग्न विवरण के अनुसार।

नियम एवं शर्ते:

1. उपरोक्त कार्य हेतु दर्शायी गयी पृष्ठों की संख्या पूर्णतः अनुमानित है जो वास्तविक तौर पर घट बढ़ सकती है।
2. उपरोक्त कार्य कार्यालय में ही सम्पन्न करना होगा जिसके लिए कम्प्युटर, स्कैनर इत्यादि फ़र्म द्वारा स्वयं लाना होगा।
3. कोटेशन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में फ़र्म के लेटर पैड पर होनी चाहिए।
4. कोटेशन आमंत्रण सूचना नंबर एवं खोलने की तारीख लिफ़ाफ़े के ऊपर लिखी होनी चाहिए।
5. दरों को शब्दों एवं संख्या दोनों में लिखा होना चाहिए।
6. दर के साथ कर तथा अन्य प्रभार आदि यदि कोई हो तो इसका विवरण अलग से दिया जाना चाहिए।
7. सभी कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग्स प्रतिष्ठान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।
8. कोटेशन में दर्शायी गयी दरें 90 दिन तक लागू होगी इस मुद्दे पर किसी कोटेशनदाता की चुप्पी उसकी सहमति मानी जाएगी।
9. सभी कार्य विशिष्टियों(**Specifications**) के अनुसार कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनों के अंदर पूरा करना अनिवार्य होगा।
10. कार्य का भुगतान स्कैन किए गए वास्तविक पेजेज़ की संख्या के अनुसार किया जाएगा।
11. यह कार्य सेवा पुस्तिकाओं की कलर स्कैन से संबन्धित है जो की 100 **dpi** रेसोल्यूशन एवं फ़ाइल फ़ारमैट **J.P.G.**और **pdf** में होना चाहिए जिसकी अधिकतम साइज़ 20 **MB** में होनी चाहिए। सेवा पुस्तिका के पेज सही क्रम में स्कैन होने चाहिए, जिसकी ज़िम्मेदारी फ़र्म की होगी।

12.सेवा पुस्तिकाओं की स्कैन उनकी पहले से हो रही बाइंडिंग को खोलकर किया जाएगा एवं स्कैन होने के बाद उनकी सही प्रकार से एवं सही क्रम में पुनः बाइंडिंग करने के ज़िम्मेदारी फ़र्म की होगी।

13.कार्य पूरा होने पर इस कार्यालय में पूर्व प्राप्ति बिल (प्री-रिसिप्टेड बिल) दो प्रतियों में भेजना होगा। बिल में धनराशि अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात भुगतान **PFMS** के माध्यम से किया जाएगा।

14.शर्तों के साथ भेजे गए कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

15.सही से पेज़ स्कैन नहीं होने पर कोटेड रेट प्रति पेज़ से दुगुनी पेनल्टी लगाई जाएगी।

16.कार्य आदेश की मात्रा घटाने या बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

17.अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण कोटेशन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

18.निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाला कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19.फ़र्म **GST** पंजीकृत होनी चाहिए एवं **GST** संख्या कोटेशन में दर्शायी होनी चाहिए।

20.कोटेशन फार्म-1 एवं 2 को पूर्णतया: भरकर ही जमा करना होगा, संशयात्मक स्थिति एवं अधूरी सूचना की स्थिति में कोटेशन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट https://www.cwc.gov.in देखे।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(एच. पी. चौरसिया)
अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियंता, योजना परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद ।
2. लेखा शाखा, योजना एवं अन्वेषन मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद ।
3. सूचना पट्ट।

<u>फॉर्म संख्या:-1</u>

कार्य का नाम: "योजना परिमंडल और योजना एवं अन्वेषन मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद के अंतर्गत उपलब्ध सेवा पुस्तिकाओं के पृष्ठों को स्कैन करने के कार्य"।

1.	Name of Company/ Firm / Agency (Attach certificate of registration):	
2.	Name of proprietor / Director of Company / Firm / agency:	
3.	Full Address of Reg. Office :	
4.	Telephone No.	
5.	FAX No.	
6.	E-Mail Address :	
7.	Full address of Operating/ Branch Office :	
	Telephone No.	
	FAX No.	
	E-Mail Address :	
8.	PAN No. (Attach attested copy)	
9.	GST Registration No. (Attach attested copy)	
10.	Give details of the major similar contracts handled by the tendering Company / Firm /Agency during the last five years (attach copy)	
11.	Additional information, if any (Attach separate sheet, if required)	

स्थान: अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

दिनांक: अधिकृत व्यक्ति का नाम:

एजेंसी/ फ़र्म की सील:

फॉर्म संख्या-2

मात्र की अनुसूची

कार्य का नाम: "योजना एवं अन्वेषन मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद के अंतर्गत उपलब्ध सेवा पुस्तिकाओं के पृष्ठों को स्कैन करने के कार्य"।

क्र.सं.	विवरण	चार्जेस	दर रुपये में		टिप्पणी
			अंकों में	शब्दों में	
1.	Scanning of 85 nos. of Service Books containing 100 pages for e-HRMS (85x100)	**Per Page**			
2.	Opening and Rebinding of 110 Service books	**Per Book**			

***Goods & Service Tax amount as applicable will be reimbursed by the department only after the submission of original paid challan/receipt in this office.**

(एच. पी. चौरसिया)
अधिशासी अभियंता
योजना एवं अन्वेषन मण्डल,
केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद